Speed Post

NO. 1/7/2011-VS(CRS)
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA
जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड-1, रामकृष्ण पुरम्, नई दिल्ली - 110066
V.S. Division, West Block –I, R.K. Puram, New Delhi – 110066
दूरभाष-फैक्स /Tele-fax.No.23383761/26104012 E-mail – rgi.rgi@censusindia.gov.in

Dated 12.03.2012

**CIRCULAR**

**Subject: Procedure for making/changing entries in the birth record for children taken on adoption - Issue of guidelines.**

As you are aware, the registration of births and deaths is done under the ambit of Registration of Births and Deaths, (RBD) Act, 1969. The issue relating to registration of birth of children taken on adoption hitherto is being dealt with on the basis of guidelines issued by the Office of the Registrar General, India, in 1999. In order to add objectivity to the entire process and also to keep abreast with the changes that have taken place, an emergent need was felt to re-visit the subject. As a part of this process, it has been decided to introduce a new birth reporting form (1A) namely "Birth Report for adopted child" on the pattern of the existing birth reporting form. The new form also comprise two parts namely Legal and Statistical part. The said form will be applicable both for the adoptions taking place through institution or otherwise. The procedure to be adopted while making entries / changes in the birth record of children taken on adoption is described below.

**1. Children taken on adoption through Institutions**

In the adoptions taking place through institutions, the details of the parents may or may not be known and the birth of the child may or may not be registered. The procedure for both the cases, i.e., the birth already registered and not yet registered is dealt separately.

**i. Birth not registered and name(s) of parents known**

(a) In case the birth of the adopted child has not been registered, the `place where the adoption agency is located' shall be treated as the `place of birth' of the child. In the event of the date of birth of the child being not known, the same as determined by the CMO or any duly licensed Physician and as reflected in the adoption order/deed issued by the local Magistrate shall be recorded as the date of birth of the child in birth reporting form. Besides the date of birth, the name(s) of adoptive parent(s) and address of adoptive parent(s) as contained in

the adoption order/deed along with the number and date of the order shall be entered in the birth reporting form. The name(s) of parents shall also be entered in birth reporting form.

(b) The concerned Registrar of the area where the adoption agency is located shall register the birth on the basis of adoption deed and duly filled-in birth reporting form, and issue the birth certificate with the name(s) of adoptive parent(s).

**ii. Birth not registered and name(s) of parents not known**

(a) In case the birth of the adopted child has not been registered, the `place where the adoption agency is located' shall be treated as the `place of birth' of the child. In the event of the date of birth of the child being not known, the same as determined by the CMO or any duly licensed Physician and as reflected in the adoption order/deed issued by the local Magistrate shall be recorded as the date of birth of the child in birth reporting form. Besides the date of birth, the name(s) of adoptive parent(s) and address of adoptive parent(s) as contained in the adoption order/deed along with the number and date of the order shall be entered in the birth reporting form. The column for name(s) of parents shall remain blank in birth reporting form.

(b) The concerned Registrar of the area where the adoption agency is located shall register the birth on the basis of adoption deed and duly filled-in birth reporting form, and issue the birth certificate with the name(s) of adoptive parent(s).

**iii. Birth registered**

(a) A birth shall be treated as registered only when supported by the original birth certificate or a copy thereof. The place of birth and the date of birth as mentioned in the original birth certificate will not undergo any change and shall remain as it is. However, on the basis of details contained in adoption order/ deed, requisite changes will be made in the name of child, name of adoptive parent(s) and address of adoptive parent(s) by the Registrar where the birth was originally registered.

(b) In order to facilitate the entire process, the Registrar in whose jurisdiction the adoption agency is located shall send the duly filled birth reporting form along with the adoption order/deed and the copy of the original birth certificate to the Registrar where the birth was originally registered. The Registrar shall also make a request to effect changes in the name of child, name of adoptive parent(s) and address of adoptive parent(s) in the birth records and send the revised birth certificate to him/her for being provided to the adoptive parent(s).

IndiaCode

## 2. Children taken on adoption outside Institutions—

Apart from adoptions taking place through institutions, a number of children are adopted by relatives / acquaintances. In this case also, the birth of child may or may not be registered. The procedure for both the cases, i.e., the birth already registered and not yet registered, is described as under:

### i. Birth not registered and name(s) of parents known

(a) In case the birth of the adopted child has not been registered, the `place where the adoption took place shall be treated as the `place of birth' of the child. In the event of the date of birth of the child being not known, the same as determined by the CMO or any duly licensed Physician and as reflected in the adoption order/deed issued by the local Magistrate shall be recorded as the date of birth of the child in birth reporting form. Besides the date of birth, the name(s) of adoptive parent(s) and address of adoptive parent(s) as contained in the adoption order/deed along with the number and date of the order shall be entered in the birth reporting form. The name(s) of parents shall also be entered in birth reporting form.

(b) The concerned Registrar of the area where the adoption has taken place shall register the birth on the basis of adoption deed and duly filled-in birth reporting form, and issue the birth certificate with the name(s) of adoptive parent(s).

IndiaCode

### ii. Birth not registered and name(s) of parents not known

(a) In case the birth of the adopted child has not been registered, the `place where the adoption took place shall be treated as the `place of birth' of the child. In the event of the date of birth of the child being not known, the same as determined by the CMO or any duly licensed Physician and as reflected in the adoption order/deed issued by the local Magistrate shall be recorded as the date of birth of the child in birth reporting form. Besides the date of birth, the name(s) of adoptive parent(s) and address of adoptive parent(s) as contained in the adoption order/deed along with the number and date of the order shall be entered in the birth reporting form. The column for name(s) of parents shall remain blank in birth reporting form.

(b) The concerned Registrar of the area where the adoption has taken place shall register the birth on the basis of adoption deed and duly filled-in birth reporting form, and issue the birth certificate with the name(s) of adoptive parent(s).

### iii. Birth registered

(a) A birth shall be treated as registered only when supported by the original birth certificate or a copy thereof. The place of birth and the date of birth as mentioned in the original birth certificate will not undergo any change and shall

remain as it is. However, on the basis of details contained in adoption order/ deed, requisite changes will be made in the name of child, name of adoptive parent(s) and address of adoptive parent(s) by the Registrar where the birth was originally registered.

(b) If the adoption order is issued from a place other than the place where birth is actually registered, the adoptive parents will approach the Registrar in whose jurisdiction adoption order is issued. The Registrar shall send the duly filled birth reporting form along with the adoption order/deed and the copy of the original birth certificate to the Registrar where the birth was originally registered. The Registrar shall also make a request to effect changes in the name of child, name of adoptive parent(s) and address of adoptive parent(s) in the birth records and send the revised birth certificate to him/her for being provided to the adoptive parent(s).

**3.** The following points may also be taken care of while making entries in the birth reporting form / changes in the birth record.

(a) The term 'adoptive parents' or 'adopted child' shall not be used in the birth certificate. The name of adoptive parents shall appear as `parents' (father and mother of the child) in the birth certificate. The 'address of adoptive parents' shall be recorded as the `address of parents at the time of birth of the child' in the birth certificate.

IndiaCode

(b) In case of births that have already been registered, the Registrar shall make suitable entries with regard to the changes made in the Remarks column of the Birth Register.

(c) The Legal part of the birth reporting form shall be treated as the birth register (form No.7). The Statistical part shall be detached and sent for compilation to the prescribed authority along with Summary Monthly Report of Births (form No.11).

(d) The provisions relating to delayed registration as prescribed under Section 13 of the RBD Act, 1969 shall not be applicable in these cases as judicial resolution in the form of adoption deed /order has already been issued by the Magistrate.

**4.** Form1-A shall form part of the respective State Rules and the necessary permission of the Central Government to amend Rule 5 (1) is hereby granted under Section 30(1) of the RBD Act, 1969. The existing Rule 5(1) under Section 8 shall be replaced with the following:

*'**5(1). Form, etc. for giving information of births and deaths**--(1) The information required to be given to the Registrar under section 8 or section 9, as the case*

*may be, shall be in Form Nos. 1, **1-A,** 2 and 3 for the Registration of a birth, **birth of an adopted child**, death and still birth respectively, hereinafter to be collectively called the reporting forms. Information if given orally shall be entered by the Registrar in the appropriate reporting forms and the signature/thumb impression of the informant obtained.'*

**5.** These directions are issued under Section 3(3) of the Registration of Births and Deaths (RBD) Act, 1969. These guidelines will repeal the previous guidelines and shall come into force with immediate effect.

**6.** You are requested to implement these guidelines by amending the aforesaid Rule for incorporating the new form in the system. You are also requested to issue necessary directions to all the registration functionaries down the hierarchy right up to the level of the local Registrar of Births and Deaths for strict compliance. A copy of the notification of the amended rule along with the copy of the directions issued to the concerned authorities may also be forwarded to this office for record.

(Dr. C. Chandramouli)
Registrar General, India

Encl: Birth Reporting form for adopted child (1-A)

IndiaCode

**To**

**The Chief Registrars/ Additional/ Deputy Chief Registrars of Births and Deaths of all States and UTs.**

## FORM NO.1-A BIRTH REPORT FOR ADOPTED CHILD

### Legal information

*This part to be added to the Birth Register*

*To be filled by the informant*

1*. **Date of Birth** (If known, write exact date of birth).
(Otherwise record the date of birth as ascertained by the Magistrate)

2*. **Sex :** (Enter "male or "female";
do not use abbreviation

3. **Name of the child :**
(If name is changed on adoption, write new name)

4*. **Name of the mother :**
( If Known)

5*. **Name of the father :**
(If Known)

6. **Date and number of adoption deed/ order**

7. **Name of the adoptive mother :**

8. **Name of the adoptive father:**

9. **Address of adoptive parents as recorded in Adoption deed.**

10. **Permanent address** of adoptive parents:

11*. **Place of birth**

12 **If adoption through agency** write the place & address Of the Adoption agency.

13. **Informant's name and address :**
*(After completing all columns 1 to 18 informant will put date and signature here :)*

***As contained in the original birth certificate.**

**Date:** **Signature or left thumb mark of the informant**

*To be filled by the Registrar*

Registration No. :
Registration Unit :
Town/Village :
**Remarks : (if any)**

Registration Date :
District :

Name and Signature of the Registrar

**To be detached and sent for statistical processing (Not to be filled for birth already registered )**

## BIRTH REPORT FOR ADOPTED CHILD

**FORM NO. 1 - A**

### Statistical information

*This part to be detached and sent for statistical processing*

*To be filled by the informant*

14. **Religion of the adoptive Father :** (Tick the appropriate entry below)

15. **Adoptive father's level of education :**
(Enter the completed level of education e.g. if studied upto class VII but passed only class VI, write class VI

16. **Adoptive mother's level of education :**
(Enter the completed level of education e.g. if studied upto class VII but passed only class VI, write class VI)

17. **Adoptive father's occupation :**
(If no occupation write 'Nil')

18. **Adoptive mother's occupation :**
(If no occupation write 'Nil')

*Columns to be filled are over. Now put signature at left)*

*To be filled by the Registrar*

Name
Code No.
District :
Tahsil :
Town/Village :
Registration Unit :

Registration No. :
Registration Date :
Date of Birth :
Sex : 1.Male 2.Female
Place of Birth :

Name and Signature of the Registrar

**FORM No. 1-A (See rule 5)**

indiacode

सं./No. 1/7/2011-जीवनांक(सी.आर.एस.)
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड-1, रामकृष्ण पुरम्, नई दिल्ली - 110066
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA
V.S. Division, West Block –I, R.K. Puram, New Delhi – 110066
Tele-fax: 26104012 E-mail – drg-crs.rgi@censusindia.gov.in

दिनांक – 12-3-2012

# परिपत्र

**विषय :- गोद लिए गए बच्चों के जन्म रिकार्ड में प्रविष्टि करने/परिवर्तन करने की प्रक्रिया के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करना ।**

जैसा कि आपको विदित ही है कि जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण, अधिनियम, 1969 की परिधि के अंतर्गत किया जाता है । अब तक गोद लिए गए बच्चों के जन्म के रजिस्ट्रीकरण के मुद्दे पर 1999 में भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है । सम्पूर्ण प्रक्रिया के साथ विषयनिष्ठता को जोड़ने और किए गए परिवर्तनों के साथ समानता बनाए रखने के उद्देश्य के लिए इस विषय पर पुन: ध्यान देने की आकस्मिक आवश्यकता महसूस की गई है । इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में मौजूदा जन्म सूचना प्रपत्र के पैटर्न पर नया जन्म सूचना प्रपत्र (1क) नामत: 'गोद लिए गए बच्चे के लिए जन्म रिपोर्ट' लागू करने का निर्णय लिया गया है । नए प्रपत्र में दो भाग नामत: विधिक और सांख्यिकीय भाग भी शामिल हैं । उपर्युक्त प्रपत्र संस्थान अथवा अन्यथा दोनों के माध्यम से गोद लेने के लिए लागू होगा । गोद लिए गए बच्चों के जन्म रिकार्ड में प्रविष्टि करने/परिवर्तन करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा नीचे दिया गया है ।

## 1. संस्थानों के माध्यम से गोद लिए गए बच्चे

संस्थानों के माध्यम से गोद लेने के संबंध में हो सकता है कि अभिभावकों के ब्योरों का पता हो अथवा न हो और बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रीकरण हुआ हो अथवा न हुआ हो । दोनों मामलों अर्थात् जन्म का रजिस्ट्रीकरण हो चुका हो अथवा न हो । दोनों मामलों अर्थात् जन्म का रजिस्ट्रीकरण हो चुका हो अथवा अभी तक न किया गया हो, दोनों की प्रक्रिया अलग होगी ।

### (i) जन्म का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया हो तथा अभिभावक का नाम मालूम हो :

(क) यदि गोद लिए गए बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया है तो उस मामले में जिस स्थान पर दत्तक ग्रहण एजेंसी स्थित है उसी स्थान को बच्चे का 'जन्म स्थान' माना जाएगा । बच्चे की जन्म तिथि का पता न होने की स्थिति में सी.एम.ओ. अथवा किसी विधिवत लाइसेंसशुदा फिजीशियन द्वारा निर्धारित और स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा जारी दत्तक आदेश/विलेख में बताई गई तिथि को जन्म सूचना प्रपत्र में बच्चे की जन्म तिथि के रूप में दर्ज किया जाएगा । जन्म तिथि के अलावा, दत्तक अभिभावक का नाम तथा दत्तक अभिभावक का पता जैसा कि दत्तक आदेश/विलेख में अंतर्विष्ट है, के आदेश की संख्या और तारीख सहित जन्म सूचना प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा । जन्म सूचना प्रपत्र में अभिभावक का नाम भी दर्ज किया जाएगा ।

(ख) उस क्षेत्र का संबंधित रजिस्ट्रार जहां दत्तक एजेंसी स्थित है, दत्तक विलेख तथा विधिवत भरे हुए जन्म सूचना प्रपत्र के आधार पर जन्म दर्ज करेगा और दत्तक अभिभावक के नाम सहित जन्म प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

### (ii) जन्म का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया हो तथा अभिभावक का नाम मालूम नहीं हो

(क) यदि गोद लिए गए बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया है तो उस मामले में जिस स्थान पर दत्तक ग्रहण एजेंसी स्थित है उसी स्थान को बच्चे का 'जन्म स्थान' माना जाएगा । बच्चे की जन्म तिथि का पता न होने की स्थिति में सी.एम.ओ. अथवा किसी विधिवत लाइसेंसशुदा फिजीशियन द्वारा निर्धारित और स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा जारी दत्तक आदेश/विलेख में बताई गई तिथि को जन्म सूचना प्रपत्र में बच्चे की जन्म तिथि के रूप में दर्ज किया जाएगा । जन्म तिथि के अलावा, दत्तक अभिभावक का नाम तथा दत्तक अभिभावक का पता जैसा कि दत्तक आदेश/विलेख में अंतर्विष्ट है, को आदेश की संख्या और तारीख सहित जन्म सूचना प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा । जन्म सूचना प्रपत्र में अभिभावक के नाम से संबंधित कालम खाली रहेगा ।

(ख) उस क्षेत्र का संबंधित रजिस्ट्रार जहां दत्तक एजेंसी स्थित है, दत्तक विलेख तथा विधिवत भरे हुए जन्म सूचना प्रपत्र के आधार पर जन्म दर्ज करेगा और दत्तक अभिभावक के नाम सहित जन्म प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

### (iii) जन्म का रजिस्ट्रीकरण किया गया हो

(क) जन्म को रजिस्ट्रीकृत केवल तभी माना जाएगा जब मूल जन्म प्रमाणपत्र या उसकी प्रति संलग्न की गई हो । मूल जन्म प्रमाणपत्र में यथा उल्लेखित जन्म स्थान और जन्म तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा उसमें दी गई जानकारी वही रहेगी । तथापि दत्तक आदेश/विलेख में विहित ब्योरों के आधार पर उस रजिस्ट्रार द्वारा जहां जन्म का मूल रूप में रजिस्ट्रीकरण हुआ है, बच्चे के नाम, दत्तक अभिभावक के नाम और दत्तक अभिभावक के पते में अपेक्षित परिवर्तन किया जाएगा ।

(ख) सम्पूर्ण प्रक्रिया को सुलभ बनाने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार जिसके क्षेत्राधिकार में दत्तक एजेंसी स्थित है, विधिवत भरा हुआ जन्म सूचना प्रपत्र दत्तक आदेश/विलेख सहित तथा मूल जन्म प्रमाणपत्र की प्रति उस रजिस्ट्रार को भेजेगा जहां जन्म का मूल रूप में रजिस्ट्रीकरण किया गया हो । रजिस्ट्रार जन्म के रिकार्डों में बच्चे के नाम, दत्तक अभिभावक के नाम तथा दत्तक अभिभावक के पते में परिवर्तन करने का भी अनुरोध करेगा तथा दत्तक अभिभावक को उपलब्ध कराए जाने के लिए संशोधित जन्म प्रमाणपत्र उसे भेजेगा ।

## 2. संस्थाओं से बाहर गोद लिए गए बच्चे

संस्थाओं के माध्यम से गोद लिए जाने के अतिरिक्त अनेक बच्चों को संबंधियों/परिचितों द्वारा गोद लिया जाता है । ऐसे मामले में भी यह हो सकता है कि बच्चे का जन्म रजिस्ट्रीकृत हो अथवा न हो । इन दोनों ही मामलों अर्थात् जन्म का रजिस्ट्रीकरण पहले ही हो चुका है अथवा रजिस्ट्रीकरण अभी नहीं हुआ है, उसकी संपूर्ण प्रक्रिया का विवरण नीचे दिया गया है :

### (i) जन्म का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया है तथा अभिभावक का नाम मालूम है –

(क) यदि गोद लिए गए बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया है तो उस मामले में जिस स्थान पर दत्तक ग्रहण किया गया है उसी स्थान को बच्चे का 'जन्म स्थान' माना जाएगा । बच्चे की जन्म तिथि का पता न होने की स्थिति में सी.एम.ओ. अथवा किसी विधिवत लाइसेंसशुदा फिजीशियन द्वारा निर्धारित और स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा जारी दत्तक आदेश/विलेख में बताई गई तिथि को जन्म सूचना प्रपत्र में बच्चे की जन्म तिथि के रूप में दर्ज किया जाएगा । जन्म तिथि के अलावा, दत्तक अभिभावक का नाम तथा दत्तक अभिभावक का पता जैसा कि दत्तक आदेश/विलेख में अंतर्विष्ट हैं, के ओदश की संख्या और तारीख सहित जन्म सूचना प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा । जन्म सूचना प्रपत्र में अभिभावक का नाम भी दर्ज किया जाएगा ।

(ख) उस क्षेत्र का संबंधित रजिस्ट्रार जहां दत्तक ग्रहण किया गया है, दत्तक विलेख तथा विधिवत भरे हुए जन्म सूचना प्रपत्र के आधार पर जन्म दर्ज करेगा और दत्तक अभिभावक के नाम सहित जन्म प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

**(ii) जन्म का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया हो तथा अभिभावक का नाम मालूम नहीं हो**

(क) यदि गोद लिए गए बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया है तो उस मामले में जिस स्थान पर दत्तक ग्रहण किया गया है उसी स्थान को बच्चे का 'जन्म स्थान' माना जाएगा । बच्चे की जन्म तिथि का पता न होने की स्थिति में सी.एम.ओ. अथवा किसी विधिवत लाइसेंसशुदा फिजीशियन द्वारा निर्धारित और स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा जारी दत्तक आदेश/विलेख में बताई गई तिथि को जन्म सूचना प्रपत्र में बच्चे की जन्म तिथि के रूप में दर्ज किया जाएगा । जन्म तिथि के अलावा, दत्तक अभिभावक का नाम तथा दत्तक अभिभावक का पता जैसा कि दत्तक आदेश/विलेख में अंतर्विष्ट है, के आदेश की संख्या और तारीख सहित जन्म सूचना प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा । जन्म सूचना प्रपत्र में अभिभावक के नाम के लिए निर्धारित कालम को खाली रखा जाएगा ।

(ख) उस क्षेत्र का संबंधित रजिस्ट्रार जहां दत्तक ग्रहण किया गया है, दत्तक विलेख तथा विधिवत भरे हुए जन्म सूचना प्रपत्र के आधार पर जन्म दर्ज करेगा और दत्तक अभिभावक के नाम सहित जन्म प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

**(iii) जन्म का रजिस्ट्रीकरण किया गया हो –**

(क) जन्म को रजिस्ट्रीकृत केवल तभी माना जाएगा जब मूल जन्म प्रमाणपत्र या उसकी प्रति संलग्न की गई हो । मूल जन्म प्रमाणपत्र में यथा उल्लेखित जन्म स्थान और जन्म तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा उसमें दी गई जानकारी वही रहेगी । तथापि दत्तक आदेश/विलेख में विहित ब्योरों के आधार पर उस रजिस्ट्रार द्वारा जहां जन्म का मूल रूप में रजिस्ट्रीकरण हुआ है, बच्चे के नाम, दत्तक अभिभावक के नाम और दत्तक अभिभावक के पते में अपेक्षित परिवर्तन किया जाएगा ।

(ख) यदि दत्तक आदेश किसी ऐसे स्थान से जारी किया जाता है जो कि उस स्थान से भिन्न है जहां जन्म का वास्तविक रूप से रजिस्टीकरण किया गया है, तो दत्तक अभिभावक उस रजिस्ट्रार से सम्पर्क करेंगे जिसके अधिकार क्षेत्र में दत्तक आदेश जारी किया गया है । वह रजिस्ट्रार दत्तक आदेश/विलेख और मूल जन्म प्रमाणपत्र की प्रति सहित विधिवत भरे गए जन्म सूचना प्रपत्र को उस रजिस्ट्रार के पास भेजेगा जहां जन्म का मूल रूप से रजिस्ट्रीकरण किया गया था । रजिस्ट्रार जन्म संबंधी रिकार्डों में बच्चे के नाम, दत्तक अभिभावक के नाम और दत्तक अभिभावक के पते में परिवर्तन करने का अनुरोध करेगा तथा दत्तक अभिभावक को उपलब्ध कराए जाने के लिए संशोधित जन्म प्रमाणपत्र उसे भेजेगा ।

3. जन्म सूचना प्रपत्र में प्रविष्टियां/जन्म रिकार्ड में परिवर्तन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए ।

(क) 'दत्तक अभिभावक' अथवा 'दत्तक बच्चा' शब्द का प्रयोग जन्म प्रमाणपत्र में नहीं किया जाएगा । जन्म प्रमाणपत्र में दत्तक अभिभावक का नाम 'अभिभावक' (बच्चे के पिता और माता) के रूप में होना चाहिए । जन्म प्रमाणपत्र में 'दत्तक अभिभावक का पता' 'बच्चे के जन्म के समय अभिभावक का पता' के रूप में रिकार्ड किया जाएगा ।

(ख) पहले ही रजिस्ट्रीकरण किए जा चुके जन्मों के मामले में रजिस्ट्रार किए गए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए जन्म रजिस्टर के अभ्युक्ति कालम में उपयुक्त प्रविष्टियां करेगा ।

(ग) जन्म सूचना प्रपत्र के विधिक हिस्से को जन्म रजिस्टर (फार्म सं. 7) माना जाएगा । सांख्यिकी हिस्से को अलग कर लिया जाएगा और जन्म संबंधी मासिक रिपोर्ट सार (फार्म सं. 11) सहित संकलन के लिए इसे निर्धारित प्राधिकारी के पास भेजा जाएगा ।

(घ) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 के अंतर्गत निर्धारित किए गए प्रावधान अनुसार विलम्बित रजिस्ट्रीकरण से संबंधित प्रावधान इन मामलों पर लागू नहीं होंगे क्योंकि मजिस्ट्रेट द्वारा दत्तक विलेख/आदेश के रूप में न्यायिक संकल्प पहले ही जारी किया जा चुका है ।

4. फार्म 1-ए संबंधित राज्य नियमावली का हिस्सा होगा तथा नियम 5(1) को संशोधित करने के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 30(1) के अंतर्गत एतद्द्वारा केंद्र सरकार की आवश्यक अनुमति प्रदान की जाती है । धारा 8 के अंतर्गत मौजूदा नियम 5(1) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

**5(1) जन्म और मृत्यु की सूचना देने के लिए फार्म आदि .....**

रजिस्ट्रार को यथास्थिति, धारा 8 या धारा 9 के अधीन दी जाने वाली अपेक्षित सूचना जन्म, **दत्तक बच्चे का जन्म,** मृत्यु और मृत जन्म के पंजीकरण के लिए, क्रमश: प्रपत्र सं. 1, **1-क**, 2 और 3, जिन्हें इससे आगे सामूहिक रूप में प्रतिवेदन प्रपत्र (रिपोर्टिंग फार्म) कहा जाएगा, में दी जाएगी । यदि सूचना मौखिक रूप में दी जाती है, तो रजिस्ट्रार द्वारा उपयुक्त प्रतिवेदन प्रपत्रों में उसकी प्रविष्टि की जाएगी और सूचनादाता के हस्ताक्षर कराए जाएंगे/अंगूठे का निशान लगवाया जाएगा ।

5. ये निर्देश जन्म और मृत्यु पंजीकरण (आर.बी.डी.) अधिनियम, 1969 की धारा 3(3) के तहत जारी किए रहे हैं । ये दिशा निर्देश पूर्ववर्ती दिशानिर्देशों को निरस्त करेंगे और तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगी ।

6. आपसे अनुरोध है कि इस प्रणाली में नए प्रपत्र को समाहित करने के लिए उपर्युक्त नियम में संशोधन कर इन दिशा निर्देशों को कार्यान्वित करें । आपसे यह भी अनुरोध है कि इनके सख्त अनुपालन के लिए सभी पंजीकरण अधिकारियों को निम्नतम स्तर के स्थानीय पंजीयक, (जन्म और मृत्यु) के स्तर के पदानुक्रम तक आवश्यक निर्देश जारी करें । संशोधित नियम की अधिसूचना की एक प्रति के साथ ही प्राधिकारियों को जारी निर्देशों की प्रति इस कार्यालय को भी रिकार्ड के लिए भेजी जाए ।

**ह.**
**(डा. च.चन्द्रमौलि)**
**भारत के महारजिस्ट्रार**

अनुलग्नक : दत्तक बच्चे का जन्म सूचना प्रपत्र (1-क)

सेवा में,

सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य रजिस्ट्रार/अपर/उप मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) ।

**सं./No. 1/7/2011-जीवनांक(सी.आर.एस.)** **दिनाँक – 17-4-2012**

उपरोक्त परिपत्र का हिंदी रूपांतर सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य रजिस्ट्रार/अपर/उप मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(पी.ए.मिनी)
उप महारजिस्ट्रार (सी.आर.एस.)